

RTE APPLICATION FORM

Instruction to fill the form

फॉर्म भरने का निर्देश

1. The information mentioned below is only for general guidance and should not be treated as legal document. It could be changed/ modified from time to time by Competent Authority.

नीचे जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है और इसे कानूनी दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर बदला/संशोधित किया जा सकता है।

2. **Application for the Registration of students for the admission in Private Schools for session 2025-2026 for socially and economically weaker sections.**

निजी विद्यालयों में सत्र 2025-2026 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रवेश हेतु छात्र/छात्राओं के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र।

Start Date of Filling Application Online : 10 / 02 / 2024

ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि: 10/ 02 / 2024

Last Date of Filling Application Online : 28 / 02 / 2024

ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि: 28 / 02 / 2024

3. In order to ensure smooth and quick filling of the application form, please keep the following ready.

आवेदन फॉर्म को आसानी से और जल्दी भरना सुनिश्चित करने के लिए, कृपया निम्नलिखित को तैयार रखें।

1. A valid mobile number with Indian SIM card. Further all the information regarding your application will be sent by SMS to the mobile number provided during registration. You are strongly advised to register your own mobile number (with Indian SIM card) and not that of relatives, friends, agents, cyber-cafe operators or others.

भारतीय सिम कार्ड के साथ एक वैध मोबाइल नंबर। आवेदन से संबंधित सभी जानकारी पंजीकरण के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी। आपको दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि आप अपना मोबाइल नंबर (भारतीय सिम कार्ड के साथ) पंजीकृत कराएं न कि रिश्तेदारों, दोस्तों, एजेंटों, साइबर-कैफे संचालकों या अन्य का पंजीकृत कराएं।

2. A digital photograph or scanned photograph of the child seeking admission (JPEG file of size at most 500KB),

प्रवेश चाहने वाले बच्चे की एक डिजिटल तस्वीर या स्कैन की गई तस्वीर (अधिकतम 500KB आकार की JPEG फ़ाइल),

3. Details of Aadhaar Card of Father and Mother. In case if child is residing at any other place in West Singhbhum then the guardian Aadhaar Number is also needed.

पिता और माता के आधार कार्ड का विवरण। यदि बच्चा पश्चिमी सिंहभूम में किसी अन्य स्थान पर रह रहा है तो अभिभावक का आधार नंबर भी आवश्यक है।

4. Once an application form has been submitted and Application Submission Code generated, the submitted application form cannot be edited.

एक बार एक आवेदन पत्र जमा कर दिया गया है और आवेदन जमा कोड उत्पन्न हो गया है, जमा किए गए आवेदन पत्र को संपादित नहीं किया जा सकता है।

4. The students must be residents of West Singhbhum District.
छात्रों को पश्चिमी सिंहभूम जिले का निवासी होना चाहिए।

5. **DOCUMENTS NEEDED/आवश्यक दस्तावेज:**

Following are the list of documents must be submitted online.

निम्नलिखित दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।

1. The birth certificate issued by the competent authority under the Birth, Death, and Marriage Registration Act, 1966, shall be valid and mandatory. This will include certificates from Notified Area Council / Municipality / Municipal Corporation / extract about the date of birth from records of Village Panchayat, Military Hospital and service records of Defense personnel. The original certificate of date of birth should be produced before the school at the time of admission. This will be returned to the parent after verification by the School.
जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1966 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के द्वारा विधि निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र ही मान्य एवं अनिवार्य होगा। इसमें अधिसूचित क्षेत्र परिषद/नगर पालिका/नगर निगम से प्रमाणपत्र/ग्राम पंचायत, सैन्य अस्पताल के रिकॉर्ड से जन्म तिथि के बारे में उद्धरण और रक्षा कर्मियों के सेवा रिकॉर्ड शामिल होंगे। प्रवेश के समय जन्म तिथि का मूल प्रमाण पत्र स्कूल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। स्कूल द्वारा सत्यापन के बाद यह माता-पिता को वापस कर दिया जाएगा।
2. Aadhaar Card of Father and Mother. Guardian Aadhaar Card is mandatory if Mother and Father are not alive or Child reside at any other place.
माता और पिता का आधार कार्ड। यदि माता और पिता जीवित नहीं हैं या बच्चा किसी अन्य स्थान पर रहता है तो अभिभावक का आधार कार्ड अनिवार्य है।
3. A caste certificate issued by the appropriate/Sub-Divisional Officer/Circle office, a medical certificate from a government hospital if the child is disabled, or a certificate issued by the Sub-Divisional Officer (SDO) in the case of an orphaned child.
उपयुक्त / अनुमंडलाधिकारी / अंचलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, सरकारी अस्पताल चिकित्सा प्रमाण-पत्र यदि बच्चा निशक्त हो। अनाथ बच्चे की स्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
4. An updated income certificate issued by the Circle Officer, stating the annual income from all sources of the child's family to be ₹72,000/- or less, must be compulsorily attached, along with the BPL (Below Poverty Line) card, ration card (if available).
अंचलाधिकारी द्वारा जारी अद्यतन आय प्रमाण पत्र जिसमें बच्चे के परिवार के सभी श्रोत्रों से वार्षिक आय 72000/- या उससे कम अंकित हो को, अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुए बी. पी. एल कार्ड, राशन कार्ड (अगर उपलब्ध हो तो) उसे भी संलग्न किया जाना होगा।

5. In case if child is residing to any blood relatives house, Electricity Bill, Gas Bill, Bank Passbook or Driving Licence on the name of guardian must be submitted.

यदि बच्चा किसी रक्त संबंधी के घर में रह रहा है, तो बिजली बिल, गैस बिल, बैंक पासबुक या अभिभावक के नाम पर डाइविंग लाइसेंस जमा करना होगा।

6. A residence certificate issued by the concerned Circle Officer in the name of the child's parent, along with a ration card issued by the competent authority, or a residence certificate of the child or his/her parents, or any one of the parents' identification proof, electricity bill/telephone bill/Aadhaar card/job card must be attached.

बच्चे का नाम वाले पिता/माता के नाम पर संबंधित आंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत आवास प्रमाण-पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी राशन कार्ड अथवा बच्चे का या उसके माता-पिता के निवास का प्रमाण-पत्र अथवा माता-पिता में से किसी एक का मतलब पहचान पत्र, बिजली बिल / टेलीफोन बिल / आधार कार्ड / जॉब कार्ड संलग्न किया जाना है।

Note: Uploaded documents like caste, residence must be of father / mother / guardian (if both father and mother is not alive). But for reservation under any handicapped category, valid certificate issued by the competent issued must be uploaded. Govt guidelines must be followed for handicapped category.

नोट: आवेदन किए गए दस्तावेज़ जैसे की जाति, निवास, पिता / मां / अभिभावक के होने चाहिए (यदि पिता और मां दोनों ही जीवित नहीं हैं)। अशक्त वर्ग के अंतर्गत आरक्षण के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मान्य प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। अशक्त वर्ग के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

6. **AGE LIMIT/आयु सीमा:** The age limit for Pre-Nursery is 3 years to maximum 4 years, for LKG/Nursery the age is 3 years 6 months to maximum 4 years 6 months and for Class 1 the age limit is 5 years 6 months to 7 years as on 31st March 2025.

एलकेजी/नर्सरी के लिए आयु 3 वर्ष 6 महीने से अधिकतम 4 वर्ष 6 महीने है, और कक्षा 1 के लिए आयु सीमा 5 वर्ष 6 महीने से अधिकतम 7 वर्ष है, 31 मार्च 2025 को। कम दूरी के छात्रों को उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी।

7. **DISTANCE LIMIT/ दूरी की सीमा:** The distance between the residence of student and school should be less than or equal to 6kms. Students with lesser distance will be given higher priority.

छात्र के निवास और स्कूल के बीच की दूरी छः किलोमीटर से कम या बराबर होनी चाहिए। जिन छात्रों की दूरी कम होगी, उन्हें अधिकतम प्राथमिकता दी जाएगी।

8. **Reservation for Physically Handicapped (PH) are of the following categories/शारीरिक रूप से विकलांग (PH) के लिए आरक्षण निम्न श्रेणियों में से हैं:**

1. OH – Orthopedically Handicapped.
2. LV – Lower Vision.

9. **Rejection of Application/आवेदन रद्द करना:** The RTE CELL WEST SINGHBHUM reserves its right to cancel the application under any of the following circumstances:
आरटीई सेल पश्चिमी सिंहभूम निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में आवेदन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:
1. If the needed documents are not submitted along with the printed application within the stipulated date.
यदि निर्धारित तिथि के भीतर मुद्रित आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए जाते हैं।
 2. If the candidate does not report to the allotted schools by the stipulated date even though the documents have been deposited.
यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक आवंटित विद्यालयों में दस्तावेज जमा करने के बावजूद रिपोर्ट नहीं करता है।
 3. If the candidate do not produce all the relevant documents.
यदि उम्मीदवार सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है।
10. While applying, the applicant shall have to choose three schools according to their distance from school. After verification the school will be allotted by District Selection Committee.
आवेदन करते समय आवेदक को विद्यालय से दूरी के अनुसार तीन विद्यालयों का चयन करना होगा। सत्यापन के बाद जिला चयन समिति द्वारा स्कूल आवंटित किया जाएगा।
11. In the event of an applicant selected in the merit list shall have to report admission incharge and take admission in the allotted schools within 10 days from the date of list given.
योग्यता सूची में चयनित होने की स्थिति में, सूची की तिथि से 10 दिनों के भीतर विद्यालय के प्रवेश प्रभारी को सूचित करना होगा और आवंटित विद्यालयों में प्रवेश लेना होगा।
12. The date of admission as indicated in the merit list on the web page shall be final and failing which the applicant is liable to lose his candidature.
वेब पेज पर मेरिट सूची में दर्शाई गई प्रवेश की तिथि अंतिम होगी और ऐसा न करने पर आवेदक अपनी उम्मीदवारी खोने के लिए उत्तरदायी होगा।
13. The decision of District Selection Committee shall be final under all circumstances and is binding to the applicant.
जिला चयन समिति का निर्णय सभी परिस्थितियों में अंतिम एवं आवेदक के लिए बाध्यकारी होगा।
14. The District Selection Committee reserves right to modify, alter and / or include any other Terms and Conditions that may be felt necessary.
जिला चयन समिति के पास आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी अन्य नियम और शर्तों को संशोधित करने, बदलने और / या शामिल करने का अधिकार सुरक्षित है।
15. **Jurisdiction/क्षेत्राधिकार:** Any dispute pertaining to admission, or any matter as a student shall be subjected to the jurisdiction of the West Singhbhum Court only.
प्रवेश से संबंधित कोई भी विवाद, या एक छात्र के रूप में कोई भी मामला केवल पश्चिमी सिंहभूम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
16. Rationalization within or outside the allotted schools is prohibited. Whoever directly or indirectly commits, participates in, propagates ragging, shall, be punished which may extend to fine/ expulsion/ imprisonment.
आवंटित विद्यालयों के भीतर या बाहर युक्तिकरण निषिद्ध है। जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष

रूप से रैगिंग करता है, उसमें भाग लेता है, रैगिंग करता है, उसे दंडित किया जाएगा जिसे जुर्माना/निष्कासन/कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

For any help, kindly call: 7004524034 or email us on : rtecellwest singhbhum@gmail.com

किसी भी मदद के लिए कृपया कॉल करें: 7004524034 या हमें ईमेल करें: rtecellest singhbhum@gmail.com

For any technical assistance call: 7004524034